न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एम. एल. चौहान, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 48/2020 (उदयपुर डिक्री)

1. हिरालाल पिता स्वर्गीय गुलाब जी सुथार, निवासी मादा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
2. मांगीलाल पिता स्वर्गीय गुलाब जी सुथार, निवासी मादा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
3. के ुलाल पिता स्वर्गीय गुलाब जी सुथार, निवासी मादा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
4. छगनलाल पिता स्वर्गीय गुलाब जी सुथार, निवासी मादा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
5. श्रीमती लक्ष्मीदेवी पिता स्वर्गीय गुलाब जी सुथार, निवासी मादा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
6. मु0 भमरीदेवी बेवा स्वर्गीय गुलाब जी सुथार, निवासी मादा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्टगण

बनाम

1. लहरसिंह पिता रूपसिंह जी राजपूत, निवासी मादा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
2. रामसिंह पिता सोहनसिंह जी राजपूत, निवासी मादा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
3. उदयसिंह पिता सोहनसिंह जी राजपूत, निवासी मादा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
4. तहसीलदार, गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त. अधि.– 1955 विरूद्ध निर्णय
व डिक्री उपखण्ड अधिकारी गोगुन्दा
दिनांक 27.06.2016 प्र.सं. 138/2015

–––/–––

उपस्थित (वक्त बहस) 1– श्री गिरजा भांकर मेहता अभिभाशक अपीलान्टगण
2– श्री के. एस. सोनी अभिभाशक रेस्पोन्डेन्ट सं. 2, 3
3– श्री देवेन्द्र चौधरी अभिभाशक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1
4– श्री कमले[illegible] चौहान राजकीय अभिभाशक

–––/–––

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.11.16 12:21:31 IST
Reason: SelfAttested

<u>निर्णय</u> <u>दिनांक 11–10–2021</u>

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा मादा में तहसील गोगुन्दा की जमाबन्दी संवत् 2072 से 2075 के खाता संख्या 202 के आराजी नंबर 1268 रकबा 0.4200 हैक्टर भूमि स्थित है, जिसका दोनों पक्षों के मध्य पूर्व में आपसी बंटवारा होकर उसी अनुसार काबिज हैं, किन्तु भूमि का विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। अतः विवादित आराजियात का मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जाकर स्थायी निशेधाज्ञा दिलायी जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 27–02–2020 से वादी का वाद स्वीकार कर विभाजन की डिक्री जारी की, जिससे रूश्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा यह अपील दिनांक 06–07–2020 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से वकील श्री देवेन्द्र चौधरी उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2, 3 की ओर से वकील श्री के. एस. सोनी उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 राज्य सरकार की ओर से राजकीय अभिभाशक श्री कमले ा चौहान उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मयाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि कोविड–19 के कारण लॉक डाउन होने से अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत नहीं की जा सकी। अतः मयाद कण्डोन की जावे। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

उक्त आवेदन पर उभयपक्षों की बहस सुनकर मनन किया। न्यायाहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

दौरान विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वकील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्टगण को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है तथा बंटवारानामे पर उनके हस्ताक्षर नहीं अपीलान्टगण की कब्जे ुदा भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.11.16 12:21:31 IST
Reason: SelfAttested

हड़पने की नियत से वाद प्रस्तुत किया गया है, जिसे राजस्व कैम्प में रखवाकर अधिकारियों से मिलीभगत कर मीट्स एण्ड बाउण्ड्स का विभाजन आदे ा प्राप्त कर दिया है, जो विधि विरूद्ध होने से अपास्त किया जावे।

विद्वान वकील रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को विधि सम्मत बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकार्ड व निर्णय का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों को सुनकर पक्षकारों की सहमति एवं उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया है, जो विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 27–06–2016 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। निर्णय आज दिनांक 11–10–2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.11.16 12:21:31 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एम. एल. चौहान, आर.ए.एस.** .....

हिरालाल पिता स्व. गुलाब जी सुथार निवासी मादा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर व अन्य बनाम **लहरसिंह पिता रूपजी राजपूत, नि0 मादा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर व अन्य**

अपील नं.....**48 / 2020**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
..... **गोगुन्दा** ..... मुकाम.....मुवर्खे.....**27**.....माह.....**06**.....**2016**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**11**...माह.....**10**.....सन् **2021** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी...**श्री जी.एस.मेहता**....मिनजानिब अपीलान्ट व.....**श्री के.एस.सोनी / देवेन्द्र चौधरी**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 27–06–2016 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**11**....माह.....**10**.....**2021** को जारी किया गया ।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.11.16 12:21:31 IST
Reason: SelfAttested